

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचना

श्री वचनेन्द्र कुमार दीपम, तत्कालीन प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सहरसा द्वारा कार्य के प्रति लापरवाही, अनुशासनहीनता, उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना, नवनियुक्त कर्मियों का वर्षों तक वेतन भुगतान नहीं कर अमानवीय कार्य एवं सरकार के आदेश का अनुपालन नहीं कर मनमानी कार्रवाई करने संबंधी प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों के कारण श्री दीपम को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के प्रावधानों के तहत विभागीय संकल्प संख्या 634 दिनांक 05.03.2013 के द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया था तथा संकल्प संख्या 1720 दिनांक 03.06.2013 के द्वारा इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। इसमें जांच प्रतिवेदन एवं द्वितीय कारण पृच्छा प्राप्त होने के पश्चात दण्ड प्रस्ताव पर अग्रेतर कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

2. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9 के उप नियम 6 (ग) में निहित प्रावधानों के तहत सम्यक् विचारोपरान्त श्री वचनेन्द्र कुमार दीपम को तत्काल प्रभाव से निलंबन से मुक्त किया जाता है।

3. इनके पदस्थापन के संबंध में आदेश अलग से निर्गत किया जायेगा

बिहार राज्यपाल के आदेश से

अ.स.न.स.वि.स.स.

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-6/श्रम वि० आ० (01)-64/2014...258...पटना, दिनांक...24.12.14...

प्रतिलिपि: प्रभारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को एक सी०डी० एवं दो हार्ड कॉपी के साथ आगामी बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि 15 अतिरिक्त प्रति विभाग को उपलब्ध करायें।

अ.स.न.स.वि.स.स.

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-6/श्रम वि० आ० (01)-64/2014...258...पटना, दिनांक...24.12.14...

प्रतिलिपि: महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै०दा०नि० कोषांग) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

अ.स.न.स.वि.स.स.

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-6/श्रम वि० आ० (01)-64/2014...258...पटना, दिनांक...24.12.14...

प्रतिलिपि: श्री वचनेन्द्र कुमार दीपम, तत्कालीन प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सहरसा सम्प्रति मुख्यालय, निदेशालय, प्रशिक्षण, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

अ.स.न.स.वि.स.स.

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-6/श्रम वि० आ० (01)-64/2014...258...पटना, दिनांक...24.12.14...

प्रतिलिपि: निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ जिला पदाधिकारी, पटना एवं सहरसा/संबंधित कोषांगार पदाधिकारी, पटना एवं सहरसा/ अपर सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ उप सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना एवं गोपनीय चारित्री कोषांग/ लोक सूचना पदाधिकारी, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/आई०

टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ सभी प्रशाखा पदाधिकारी, सरकार पक्ष, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

अनुभव
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-6/श्रम वि0 आ0 (01)-64/2014-258 पटना, दिनांक-24.12.14

प्रतिलिपि: माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

अनुभव
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-6/श्रम वि0 आ0 (01)-64/2014-258 पटना, दिनांक-24.12.14

प्रतिलिपि: प्रशाखा पदाधिकारी-1, सरकार पक्ष, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि इनके पदस्थापन की कार्रवाई अपने स्तर से की जाये।

अनुभव
सरकार के अवर सचिव